

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर।  
क्रमांक:एफ.02.सी.सी/स्वा.का.पु./2024/७७ दिनांक : ०७/०५/२०२५

## आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11(7)वित्त /नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक:एफ.14(88)वित्त(नियम)/2008-T दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानानुसार श्री अशोक कुमार तोषनीवाल, सेवानिवृत्त स्वास्थ्य निरीक्षक, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चित्तौडगढ जिनकी राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि 02.01.1987 थी तथा जिनके द्वारा राज्य सेवा में दिनांक 02.01.2014 को 27 वर्ष की सेवावधि पूर्ण की गई है को दिनांक 02.01.2014 से पे बेण्ड 9300-34800 में ग्रेड पे- 4800/- स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कार्मिक का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर

दिनांक : ०७/०५/२०२५

क्रमांक:एफ.02.सी.सी/स्वा.का.पु./2024/७७

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चित्तौडगढ।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रुम कमरा नं0 302 मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर

RajKaj Ref  
6368161

Document certified by RAKESH KUMAR  
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh  
Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :07-05-2024 03:26:15